JALAUN POLICE

दिनांक – 12.07.2025

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जालौन के कुशल नेतृत्व में कोतवाली उरई पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए घटना से सम्बन्धित 04 अभियुक्तगणो को चोरी की 10 अदद बैटरी व एक अदद अवैध तमंचा के साथ गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 10.07.2025 को वादी द्वारा सूचना दी गयी कि अज्ञात चोर द्वारा एटीएम के बैटरी रूम का ताला तोड़कर बैटरी चोरी कर ले गये है जिसके सम्बन्ध में कोतवाली उरई में मु0अ0सं0 398/25 धारा 331(4)/305 बीएनएस व मु0अ0सं0 401/25 धारा 331(4)/305 बीएनएस एवं दिनांक 11.07.2025 को थाना डकोर में वादी की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 84/25 धारा 331(4)/305 बीएनएस पंजीकृत कराया गया था।

दिनांक 12.07.2025 को कोतवाली उरई पुलिस द्वारा रोकथाम अपराध, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति, लुटेरे, वाहन चोर / वांछित अपराधी एवं सुरागरसी-पतारसी के दौरान मुखबिर की सूचना पर चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए, घटना मे शामिल अभियुक्तगण 1. छोटू सिद्दीकी पुत्र नवाब सिद्दीकी निवास ग्राम चमारी थाना आटा जिला जालौन 2. गुलशाद अंसारी पुत्र जब्बार अंसारी नि0मु0 तिलकनगर थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन 3. एहतिशाम अंसारी पुत्र नसीम अंसारी नि0 मु0 बल्लभनगर जामा मस्जिद के पास उरई कोतवाली उरई जनपद जालौन 4. मो0 उमर पुत्र बाबू खां नि0 मु0 तिलक नगर थाना कोतवाली उरई जनपद जालौन को झांसी रोड पर एल्ड्रिच स्कूल के पास से गिरफ्तार कर चोरी की 10 अदद बैटरी व एक अदद तमंचा बरामद किया गया है।

अवैध तमंचा बरामदगी के संबन्ध में कोतवाली उरई पर मु0अ0सं0 403/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूंछतांछ का विवरण-

अभियुक्तगण द्वारा पूंछतांछ की गयी तो बताया कि साहब हम सभी चारो लोग मिलकर अपने आर्थिक लाभ के लिए अलग-अलग जगहों पर रात के समय एटीएम मे घुसकर ताला तोडकर उनमे रखी बैटरियों की चोरी करते है तथा उन सभी बैट्रियों को इकट्ठा कर एक साथ बेचकर जो पैसा मिलता है उसे आपस मे चारो लोग बराबर-बराबर हिस्से मे बांट लेते है। उक्त बरामद कुल 10 अदद बैटरियों के बारे मे पूछा गया तो बताया कि साहब जो 03 बैट्री हम लोगो ने मिलकर अजनारी रोड पर बने हिताची के एटीएम से रात मे ताला तोडकर चोरी की थी ये 06 बैट्री हम लोगो ने मु0 बघौरा मे स्थित स्टेट बैंक के एटीएम से रात मे ताला तोडकर चोरी की थी और 01 बैट्री उसे हम लोगो ने दिनांक 10.07.2025 को डकोर के शाखा भवन के इन्डियन बैंक के एटीएम का ताला तोडकर चोरी की थी तथा छोटू उपरोक्त से बरामद अवैध तमंचे के बारे मे पूछा गया तो बताया कि साहब यह तमंचा मै अपने साथ लोगो को डराने के लिये रखता हूं तमंचा चलता नही है इसलिये

उसका कारतूस भी नही है। आज हमलोग इन बैटरियों को बेचने जा रहे थे कि आप लोगो द्वारा पकड़ लिया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

1. छोटू सिद्दीकी पुत्र नवाब सिद्दीकी उम्र करीब 22 वर्ष नि0 काशीराम कालोनी व मूल निवास ग्राम चमारी थाना आटा जिला जालौन
2. गुलशाद अंसारी पुत्र जब्बार अंसारी उम्र करीब 22 वर्ष नि0मु0 तिलकनगर कोत0 उरई जनपद जालौन
3. एहतिशाम अंसारी पुत्र नसीम अंसारी उम्र करीब 25 वर्ष नि0 मु0 बल्लभनगर कोत0 उरई जनपद जालौन
4. मो0 उमर पुत्र बाबू खां उम्र करीब 45 वर्ष नि0 मु0 तिलक नगर कोत0 उरई जनपद जालौन

अभि0 छोटू सिद्दीकी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 510/2021 धारा 379/411 भादवि कोतवाली उरई जनपद जालौन
2. मु0अ0सं0 497/24 धारा 305/317 बीएनएस थाना लोनी बॉर्डर जनपद गाजियाबाद
3. मु0अ0सं0 512/24 धारा 305/317 बीएनएस थाना लोनी बॉर्डर जनपद गाजियाबाद
4. मु0अ0सं0 368/24 धारा 305 बीएनएस थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद

बरामदगीः-

1. 06 अदद बैटरी (मु0अ0सं0 398/25 धारा 331(4)/305 बीएनएस कोत0 उरई)
2. 03 अदद बैटरी (मु0अ0सं0 401/25 धारा 331(4)/305 बीएनएस कोत0 उरई)
3. 01 अदद बैटरी (मु0अ0सं0 84/25 धारा 331(4)/305 बीएनएस थाना डकोर)
4. एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर
5. एक अदद बैगनआर जिसका नम्बर UP-15-Z-7572 (धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक कोतवाली उरई मय टीम